बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

प्रेषण शाखा

संख्या–5/स्था० (विविध) क्षे०–08–58/2014 10253(s) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

भारत के संविधान के अनुच्छेद–**309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य के पथ निर्माण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयो (अंचल) हेतु अमीनो की भर्त्ती, एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–(1) यह नियमावली, बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2017' कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।– इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो –

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है पथ निर्माण विभाग का अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना);

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित अंचल का अधीक्षण अभियंता;

(iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है पथ निर्माण विभाग का अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव;

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है पथ निर्माण विभाग, बिहार;

(vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, पहली अप्रील से 31 मार्च तक की अवधि;

3. संवर्ग का गठन ।– इस संवर्ग में अमीन के पद होंगे जो पथ निर्माण विभाग के अधीन अंचल स्तरीय होगा जिसके नियोक्ता/नियंत्री पदाधिकारी संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, होंगे।

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में पहले से नियमित रुप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

4. उम्र सीमा ।– अमीन के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नही होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

5. आरक्षण ।– इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

6. **नियुक्ति**।– (1) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति, आयोग द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर, घोषित परीक्षाफल के अनुसार, प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(2) (क) अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से इन्टरमीडियट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को, उनके अनुभव के आधार पर, अंक दिये जायेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम अंक 25 होगें तथा प्रतिवर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिये जायेंगे:

परन्तु यह कि, अनुभव की गणना कैलेन्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी एवं एक कैलेंडर वर्ष में छः माह से अधिक के अनुभव को एक वर्ष एवं छः माह से कम अनुभव को शून्य वर्ष माना जायेगा।

7. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लिखित पाठ्यक्रम**।– अमीन के पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा 75 अंको की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित तीन भाग होंगे :–

(i) प्रथम खण्ड – सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिन्दी–25 अंक

(ii) द्वितीय खण्ड – सामान्य गणित 25 अंक।

(iii) तृतीय खण्ड – अमानत से संबंधित प्रश्न 25 अंक

8. **परिवीक्षा अवधि**।– (1) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के उपरान्त अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा अभिलिखित किये जा सकने वाले कारण से, परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि प्रतीत हो कि बढ़ाई गयी अवधि में आचरण एवं सेवा में सुधार की, सम्भावना है। बढ़ाई गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण**।– सरकार द्वारा किये गए विनिश्चय के आधार पर अमीनों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम**।– सरकार समय–समय पर विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत कर सकेगी।

11. **सम्पुष्टि**।– परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(i) यदि सरकार कोई विभागीय परीक्षा विहित की हो तो वह अवश्य उर्त्तीण हो चुका हो,

(ii) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो,

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

(iv) **हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा/कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उर्त्तीण हो चुका हो।**

12. <u>वेतनमान्</u>।– नवनियुक्त अमीन का वेतनमान वही होगा जो, समय–समय पर, सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

13. <u>वरीयता</u>।– इस सेवा के सदस्यों की वरीयता आयोग से प्राप्त मेधा सूची के क्रमानुसार होगी तथा यह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अवधारित की जा सकेगी।

14. <u>प्रकीर्ण</u>।– स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण –(1) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य संबन्धित अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधीन होंगे।

(2) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा–सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी विषय यथास्थिति, संबन्धित अधीक्षण अभियंता के अधीन होंगे।

15. <u>निरसन एवं व्यावृति</u>।– (1) विभाग में अमीन के पदो के लिए कोई पूर्व संधारित संवर्ग नियमावली नही है। विभाग से निर्गत नियुक्ति संबंधी पूर्व परिपत्रों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में सरकारी परिपत्रों के अधीन की गयी नियुक्ति विधिमान्य बनी रहेगी मानो वे इस नियमावली के उपबंधो के अधीन निर्गत किए हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 10254(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.11.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 10254(S) पटना–15, दिनांक– 07/11/17

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग (रा०उ० पथ, यॉंत्रिक उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग (पथ/रा०उ० पथ एवं यॉंत्रिक अंचल सहित)/सभी

→